निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय
टॉउन वेंडिंग कमेटी
<u>नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्</u>

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडरों का प्रतिनिधित्व करने वाली टॉउन वेंडिंग कमेटी के सदस्यों का चयन/चुनाव आयोजित करने हेतु प्रक्रिया:

1. परिषद् अध्यक्ष अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडरों का प्रतिनिधित्व कर रही टॉउन वेंडिंग कमेटी के सदस्यों का स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुनावों के आयोजन का निरीक्षण, निर्देश तथा नियंत्रण करेंगे।

2. स्ट्रीट वेंडरों का प्रतिनिधित्व कर रही टॉउन वेंडिंग कमेटी के सदस्यों हेतु चुनाव आयोजित करने के लिए न.दि.न.पा. परिषद् के आशय का अभिव्यक्त करती हुई अधिसूचना नियमावली 13 के उपनियम (2) के अंतर्गत जारी की गई तथा इस नियमावली के उपनियम (3) के अन्तर्गत चुनाव आयोजित कराने के लिए एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया।

3. स्ट्रीट वैण्डर्स से 12 सदस्यों को चुनने हेतु चुनाव आयोजित किए जाएंगे। टीवीसी में आरक्षण स्ट्रीट वैण्डर अधिनियम 2014 के अनुसार तथा स्ट्रीट वैण्डर्स नियमावली 2017 में अधिसूचित अनुसार होगा, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं.	**श्रेणी**	**चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या**
1.	सामान्य-महिला	दो (2)
2.	सामान्य-दिव्यांग	एक (1)
3.	सामान्य (अनारक्षित)	दो (2)
4.	सामान्य-अल्पसंख्यक	एक (1)
5.	अनुसूचित जनजाति	एक(1)
6.	अनुसूचित जाति	दो(2)
7.	अन्य पिछडा वर्ग	एक(1)
8.	अन्य पिछडा वर्ग-महिला	दो (2)
कुल		**बारह (12)**

अनुसूची के अनुसार चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने हेतु वोटर को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों में से कोई एक रखना/लाना होगा:-

1. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा जारी तहबाजारी लाईसेंस
2. वोटर आई-कार्ड
3. आधार कार्ड
4. ड्राइविंग लाईसेंस
5. पासपोर्ट
6. बैंक/पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक फोटो सहित।
7. पैन कार्ड
8. एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।
9. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की योजना के अंतर्गत जारी हैल्थ इश्योरेंस स्मार्ट कार्ड।

यदि कोई व्यक्ति जो उपरोक्त वर्णित मूल दस्तावेजों में से कोई भी एक नहीं लाता है, तो ऐसे व्यक्ति को चुनाव प्रक्रिया में वोट/भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

फर्स्ट टाउन वेंडिंग कमेटी नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के लिए 12 सदस्यों के निर्वाचन हेतु अनुसूची निम्न प्रकार है:-

दिल्ली वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण तथा स्ट्रीट वेंडिंग विनियम) नियमावली, 2017 के नियम 13 के अनुसार स्ट्रीट वेंडर्स की सूची के प्रकाशन की तिथि	सूची दिनांक 27 मार्च 2018 को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी (मंगलवार)
नामांकन दायर करने की तिथि, स्थान तथा समय	10 अगस्त, 2018 (शुक्रवार) से अंतिम तिथि एवं नामांकन भरने के समय तक स्थान: निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय कार्यालय घण्टे: कार्य दिवस के दौरान (सोमवार से शुक्रवार सार्वजनिक अवकाश

	छोडकर) प्रात: 9.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक, भोजन अवकाश अपराह्न 1.00 बजे से 1.30 बजे तक को छोड़कर)
नामांकन दायर करने की अंतिम तिथि तथा समय	20 अगस्त, 2018 (सोमवार) को सांय 5.00 बजे तक
अधिसूचना की जांच तथा पात्र उम्मीदवारों की अंतिम सूची के प्रकाशन की तिथि	प्रात: 11.00 बजे से प्रारंभ 21 अगस्त, 2018 (मंगलवार) स्थान: निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय
नाम वापस लेने की अंतिम तिथि	23 अगस्त, 2018 (बृहस्पतिवार) सांय 5.00 बजे तक अथवा उससे पूर्व
चुनाव प्रचार की समाप्ति	29 अगस्त 2018 (बुधवार) सांय 5.00 बजे तक अथवा उससे पूर्व
पोलिंग की तिथि	31 अगस्त 2018 (शुक्रवार)
पोलिंग का स्थान	नवयुग स्कूल, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली-110023
पोलिंग की समयावधि	प्रात: 09.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक
वोटों की गिनती की तिथि	31 अगस्त, 2018 (शुक्रवार) नवयुग स्कूल, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली-110023 अंतिम वोट डालने से 1 घण्टा उपरांत।
जिस तारीख पर चुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा	31 अगस्त 2018 (शुक्रवार)

3. दो प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्रों हिन्दी (नवभारत टाइम्स) तथा अंग्रेजी (टाइम्स ऑफ इण्डिया) में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई यह सूचना न.दि.न.परिषद् की वैबसाइट तथा निर्वाचन अधिकारी, टीवीसी के सूचनापट्ट पर भी है।

3 (ए) अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्गो, महिलाओं, दिव्यांगों, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों हेतु आरक्षित सीटों सहित 12 सदस्यों का चयन किया जायेगा।

3 (बी) स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 (आजीविका का संरक्षण तथा स्ट्रीट वेंडिंग विनियम) की धारा 22 तथा दिल्ली वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण तथा स्ट्रीट वेंडिंग विनियम), अनुसूची.... नियमावली 2017 का पैरा 3 अनु.जाति/अनु.जन./अ.पि.व./महिलाओं/अल्पसंख्यक तथा दिव्यांगों द्वारा आरक्षित सीटों को भरना वर्णित करता है। यह भी वर्णित करता है कि 12 सदस्यों में से एकतिहाई महिलाएं होनी चाहिए।

विभाग ने आरक्षण की गणना राष्ट्रीय नीति के अनुसार की है। तद्नुसार 12 सदस्यों में से 6 सामान्य श्रेणी से, 2 अनु.जाति, 1 अनुसूचित जनजाति तथा 3 अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी से होंगे। इस फार्मूले पर अमल करने के उपरांत अल्पसंख्यक, दिव्यांग तथा महिलाएं रह जाती हैं तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित आरक्षण बनाना है। तद्नुसार यह महसूस किया गया कि अल्पसंख्यक, दिव्यांग तथा महिलाओं के लिए सीटों की पहचान का उचित तरीका लॉटरी है। तद्नुसार परिषद् सदस्यों के उपस्थिति में लॉटरी आयोजित की गई तथा लॉटरी के उपरांत अल्पसंख्यक, दिव्यांग तथा महिला प्रत्याशियों के लिए निम्नलिखित सीटों का चिन्हित किया गया।

क्र.सं.	श्रेणी
1.	सामान्य महिला
2.	सामान्य दिव्यांग
3.	सामान्य
4.	सामान्य
5.	सामान्य महिला
6.	सामान्य अल्पसंख्यक
7.	अनु.जाति
8.	अनु.जनजाति
9.	अनु.जाति
10.	अ.पि.वर्ग
11.	अ.पि.वर्ग महिला
12.	अ.पि.वर्ग महिला

4. चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्य स्ट्रीट वेंडर्स माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के डब्ल्यूपीसी संख्या–6622/2015 के द्वारा न्यायालय आदेश दिनांक 5.9.2017, जनोदय एकता समिति (पंजीकृत) के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के नियमों में तथा अधिसूचित विनियमों अनुसार होंगे। जोकि निम्न अनुसार है:-

''सुनवाई के दौरान स्ट्रीट वेंडर के प्रतिनिधियों ने प्रस्तुत किया कि प्रथम टीवीसी हेतु उन 1,32,000 आवेदकों में से निगमों/न.दि.न.परिषद् द्वारा चुनाव आयोजित होना चाहिए जिन्होंने एमसीडी तथा स्ट्रीट वेंडर्स की वर्ष 2007 योजना में आवेदन किया था, जिनके नाम चोपड़ा कमेटी द्वारा तैयार सूची में वर्णित पाए गए, तथा 4400 आवेदक जिन्होंने न.दि.न.परिषद् में 2007 योजना में आवेदन किया था तथा लगभग 950 व्यक्ति (725 व्यक्ति थरेजा समिति द्वारा अनुमोदित + 228 स्ट्रीट वेंडर्स जिनके पास पुराना तहबाजारी लाइसेंस है) जिनके नाम थरेजा समिति द्वारा तैयार सूची में वर्णित पाए गए हैं, यह मांग, लर्नड काउंसिल ने प्रस्तुत की, जोकि अधिनियम से हटाने तथा लक्ष्यों के साथ एवं आगे, कुछ संशोधनों के साथ नियम 14 की अनुसूची के समकालीन होगी।''

4(ए) उपरोक्त मतदाताओं की सूची न.दि.न.परिषद् वेबसाइट पर पहले ही अपलोड की गई है तथा दिनांक 27 मार्च 2018 से सार्वजनिक अनुक्षेत्र में है।

5. चुनाव हेतु अभ्यर्थियों के नामांकन इस अनुसूची के साथ संलग्न फार्म-। में दिए जाऐंगे जोकि निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी भी स्ट्रीट वेंडर को निःशुल्क दिए जाऐंगे। इस संबंध में निम्नलिखित नियम स्थिति में संदर्भ आमंत्रित किए गए है:-

स्पष्टीकरण: नियम 14 के अनुसार निर्धारित फार्म 1 प्रथम टाउन वेंडिंग समिति के लिये संचालित चुनाव में नियम 13(1) के तहत लागू नहीं होगा। संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के कमीशनर/अध्यक्ष/सीईओ द्वारा प्रथम चुनाव का फार्म तैयार किया जाएगा।

6. अभ्यर्थी रुपये दो हजार की प्रतिभूति जमा नामांकन पेपरों के साथ पे आर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट अथवा नकद में जमा कराएगा। यदि अभ्यार्थी डाले गए वोटों का छठे भाग से कम वोट पाने में असफल रहता है, प्रतिभूति स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

7. प्रत्येक नामांकन पेपर अभ्यार्थी द्वारा स्वंय अथवा उसके प्रस्तावक अथवा निर्वाचन अधिकारी के सहायक को व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत करना होगा। निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्र पर अपनी क्रम संख्या डालेगा तथा उसके द्वारा जब नामांकन प्राप्त किया गया तिथि तथा समय प्रमाणित करेगा एवं तत्काल नामांकन पत्र की प्राप्ति हेतु लिखित पावती देगा। जिसमें निर्वाचन अधिकारी की मोहर होगी। कोई भी नामांकन पत्र जो उसी प्राप्ति की तिथि एवं समय पर अथवा उससे पूर्व प्राप्त नहीं होगा रद्द कर दिया जाएगा।

8.(i) नामांकन पत्र भरने हेतु निर्धारित तिथि तथा समय निर्धारित करते समय निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करेंगें।

(ii) निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करेगा और किसी भी नामांकन के संबंध में किसी भी व्यक्ति की आपत्तियों के बारे में निर्णय लेगा तथा निर्वाचन अधिकारी इन आपत्तियों पर या स्वतः संज्ञान लेते हुए, अगर जरूरत हो तो सरसरी तौर पर ऐसी जांच के बाद, जिसे वह उचित समझे किसी नामांकन को रद्द कर सकता है।

इसके साथ ही यह शर्त भी है कि किसी उम्मीदवार का नामांकन सिर्फ उसके और उसके प्रस्तावक अथवा अनुमोदक का नाम या कोई अन्य ब्यौरा, धारा 4 में बतायी गयी स्ट्रीट वेंडर्स की सूची में दर्ज उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक और अनुमोदक के ब्यौरे को गलत तरीके से लिखे जाने के आधार पर रद्द नहीं होगा, बशर्ते कि उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक और अनुमोदक की पहचान संदेह के तर्कसंगत दायरे के परे साबित हो जाए।

(iii) निर्वाचन अधिकारी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों, उनके प्रस्तावकों और अनुमोदकों को सभी नामांकन पत्रों की जांच करने और उन्हें यह आश्वस्त करने की तमाम वाजिब सुविधाएं देंगे कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के नाम को वैध तरीके से शामिल किया गया है।

(iv) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नामांकन पत्र पर उसे स्वीकार या अस्वीकार करने के अपने निर्णय को पृष्ठांकित करेगा और अगर नामांकन पत्र अस्वीकार किया जाता है तो वह लिखित में इसके कारणों के बारे में संक्षिप्त वक्तव्य दर्ज करेगा।

(v) निर्वाचन अधिकारी प्रक्रिया को स्थगित नहीं करेगा और अगर करेगा तो सिर्फ तभी जब दंगे, फसाद या नियंत्रण से बाहर के किसी कारण से इस प्रक्रिया में व्यवधान या बाधा आए।

9. निर्वाचन अधिकारी द्वारा वैध करार दिये गये नामों की सूची, जिसमें नामांकन पत्रों में दिये गये उम्मीदवारों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दर्ज होंगे और साथ में उनके आवासीय पते भी होंगे, जोकि उसी दिन प्रदर्शित/प्रकाशित कर दिये जाएगें जिस दिन नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा होगा।

10. कोई भी अभ्यर्थी अपने द्वारा लिखित में हस्ताक्षर में नोटिस देते हुए अपनी उम्मीदवारी वापिस ले सकता है तथा वैयक्तिक रूप से अपना नामांकन पत्र की प्रस्तुति के पश्चात् किसी भी समय किन्तु नामांकन के जांच की तिथि को सांय 5.00 बजे से पूर्व तथा पात्र उम्मीदवारों की अंतिम सूची के प्रकाशन होने से पूर्व जमा कर सकता है। उम्मीदवारी को वापिस लेने का नोटिस एक बार देने के पश्चात् स्थिर होगा।

11. अगर ऐसे उम्मीदवारों की संख्या, जिनके नामांकन वैध घोषित किये गये हैं चुने जाने वाले उम्मीवारों की संख्या से ज्यादा नहीं होंगे तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे सभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगा और उपरोक्त धारा 10 के तहत नाम वापस लेने के दिन समय सीमा के खत्म होने के बाद उन्हें टॉउन वेंडिंग कमेटी में विधिवत निर्वाचित घोषित कर देगा। अगर वैध नामांकन वाले उम्मीदवारों की संख्या चुने जाने वालों की संख्या से ज्यादा होगी तो निर्वाचन अधिकारी मतदान के लिए निर्धारित तारीख को चुनाव कराने का इंतजाम करेगा। निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लगाएगा तथा उनको क्रम संख्याओं का वितरण करेगा। निर्वाचन अधिकारी जरूरत पड़ने पर चुनाव कराने के लिए एक या एक से अधिक मतदान अधिकारियों/पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। इसके लिए इस्तेमाल किये जाने वाले मतपत्र अध्यक्ष, न.दि.न.परिषद् द्वारा निर्धारित होंगे।

12. चुनाव लड़ रहा कोई भी उम्मीदवार निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की पहचान करने और वोटों की रिकार्डिंग दोनों ही में उम्मीदवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव एजेंट नियुक्त करवा सकता है। इस पत्र में इस अनुसूची के साथ संलग्न फार्म-2 में संबंधित एजेंट की सहमति संलग्न करनी होगी।

13. मतदान पूरा होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करने पर रोक होगी।

14. मतदान प्रारंभ होने के ठीक पहले निर्वाचन अधिकारी खाली मतपेटी को वहां उपस्थित व्यक्तियों को दिखाएगा और उसके बाद उसमें ताला लगाकर सील लगा देगा। अगर उम्मीदवार या उसका एजेंट चाहे तो वह भी अपनी मोहर ताले पर लगा सकते हैं।

15. जो भी स्ट्रीट वेंडर/मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहता है, उसे एक मतपत्र उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में हिन्दी और अंग्रेजी में क्रम संख्या के साथ छपे हुए या टाइप किये हुए अथवा साइक्लोस्टाइल किये हुए होंगे। मतपत्र पर मोहर के साथ साथ निर्वाचन अधिकारी के संक्षिप्त हस्ताक्षर भी होंगे, तथा मतपत्र पर एक कॉलम होगा जिसमें मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के आगे गुणा (X) का निशान लगा सकता है।

16. प्रत्येक मतदान केन्द्र और अगर मतदान केन्द्र में एक से ज्यादा मतदान बूथ हैं तो हर बूथ में बनाए गये अलग-अलग कक्षों में स्ट्रीट वेंडर/मतदाता गोपनीयता से अपना वोट डाल सकेंगे।

17. किसी स्ट्रीट वेंडर/मतदाता को तबतक कोई मतपत्र नहीं दिया जाएगा जबतक कि मतदान अधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो कि संबंधित स्ट्रीट वेंडर/मतदाता वही व्यक्ति है जिसका नाम उसको उपलब्ध करायी गयी सूची में शामिल है। इस तरह का मतपत्र प्राप्त करने के बाद स्ट्रीट वेंडर/मतदाता वोट डालने के लिए बनाए गए मतदान कक्ष में जाएगा और उम्मीदवार या उम्मीदवारों के नाम के आगे गुणा का निशान लगाकर व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में अपनी पसंद का संकेत देगा और मतपत्र को वोट डालने के लिए रखीगयी मतपेटी में पूरी गोपनीयता से डालेगा। अगर अंधता या किसी अन्य शारीरिक अक्षमता या निरक्षरता के कारण कोई स्ट्रीट वेंडर/मतदाता मतपत्र में

निशान लगाने में असमर्थ है, तो मतदान अधिकारी और अगर जहां मतदान अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है वहां सहायक निर्वाचन अधिकारी उससे पूछकर यह पता लगाएगा कि वह किस उम्मीदवार या उम्मीदवारों के पक्ष में मतपत्र में गुणा (X) का निशान लगाना चाहता है और ऐसा करके मतपत्र को मतपेटी में डाल देगा।

18. अगर मतदान के किसी भी चरण में दंगे या गड़बड़ी की वजह से मतदान प्रक्रिया में व्यवधान आता है या बाधा उत्पन्न होती है और पर्याप्त कारणों से चुनाव कराना संभव नहीं रहता तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन अधिकारी मतदान रोक सकता है। उसे इसके लिए टाउन वेंडिंग कमेटी की कार्यवृत्त पुस्तिका में इस तरह की कार्रवाई के लिए कारणों को दर्ज करना होगा।

19. मतदान के लिए निर्धारित अवधि के पूरा हो जाने के बाद किसी स्ट्रीट वेंडर/मतदाता को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन अगर वह मतदान का समय पूरा होने से पहले मतपत्र जारी करने के स्थान पर पहुंच जाता है तो उसे मतपत्र दे दिया जाएगा और वोट डालने दिया जाएगा।

20. मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतों की गणना की जाएगी। यदि यह संभव नहीं है तो मतदान बॉक्स को निर्वाचन अधिकारी एवं चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या उनके एजेंट की सील के साथ उन्हें सीलबंद किया जाए यदि उनकी ऐसी इच्छा हो तो और उसे स्ट्रांग रूम में जमा कराया जाए और निर्वाचन अधिकारी के सुरक्षित कब्जे में रखा जाए, उसके बाद निर्वाचन अधिकारी गणना के आगामी दिन की घोषणा करेंगे। निर्वाचन अधिकारी द्वारा या उनके पर्यवेक्षण के अंतर्गत मतों की गणना की जाए। प्रत्येक उम्मीदवार एवं उनके प्राधिकृत एजेंट को यह अधिकार है कि वे गणना के समय उपस्थित रहें। परन्तु गणना के समय किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट की अनुपस्थिति से गणना रद्द नहीं होगी और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा परिणाम की घोषणा की जाएगी। मतगणना के समाप्त होते ही निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या एवं चुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा।

निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतगणना समाप्त होने एवं परिणाम घोषणा के तुरंत बाद विजयी उम्मीदवार को अध्यक्ष, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में चुनाव का प्रमाण पत्र दिया

जाएगा। अध्यक्ष, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के साथ-साथ रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार को भी चुनाव के परिणाम की सूचना देंगे।

21. चुनाव परिणाम को निर्वाचन अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा तथा तत्काल न.दि.न. परिषद् के नोटिस बोर्ड पर अधिसूचित कर दिया जाएगा।

22. बराबर-बराबर वोट मिलने की स्थिति में निर्वाचन अधिकारी दोनों उम्मीदवारों की उपस्थिति में सिक्का उछाल कर नतीजे की घोषणा करेगा।

23. निर्वाचन अधिकारी द्वारा कोई मतपत्र रद्द कर दिया जाएगा अगर-

(i) इसमें ऐसा कोई निशान हो जिससे मतदाता पहचान की जा सके।

(ii) इसमें नगर स्ट्रीट वेंडर कमेटी की मोहर या निर्वाचन अधिकारी के आद्याक्षर न हों।

(iii) वोट डालने का निशान इस तरह से लगा हो कि किस उम्मीदवार को वोट दिया है यह फैसला करना संदिग्ध हो।

(iv) मतपत्र इतना खराब या कटा-फटा हुआ हो कि असली मतपत्र के रूप में इसकी पहचान न की जा सके।

24. चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद, निर्वाचन अधिकारी द्वारा नतीजे की घोषणा के तीन दिन के भीतर चुनाव परिणाम न.दि.न.परिषद् तथा सरकार को भेजा जाएगा।

25. चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद निर्वाचन अधिकारी मतपत्रों और प्रथम टॉउन वेंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव से संबंधित रिकार्ड को सीलबंद लिफाफे में न.दि.न.परिषद् को सौंप देगा। इसे न.दि.न.परिषद् द्वारा चुनाव की तारीख से छह महीने या चुनाव विवाद की स्थिति में विवाद का निपटारा होने की अवधि में से जो भी बाद में हो, तब तक के लिए सुरक्षित रखा जाएगा तथा इसके बाद इसे न.दि.न.परिषद् द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। चुनाव रिकार्ड के दिये जाने

और प्राप्त किये जाने के प्रमाण की प्रतिलिपि निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार और न.दि.न.परिषद् को भेजी जाएंगी।

(वाई.वी.वी.जे. राजशेखर)
निर्वाचन अधिकारी
टीवीसी चुनाव

टॉउन वेंडिंग कमेटी

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

फार्म - 1

प्रथम टॉउन वेंडिंग कमेटी के सदस्यों के चयन हेतु नामांकन फार्म

श्री वाई.वी.वी.जे.राजशेखर
निर्वाचन अधिकारी, टॉउन वेंडिग कमेटी
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्
पालिका केन्द्र,
नई दिल्ली

महोदय,

मैं, ..., पत्नी/पुत्र/पुत्री, श्री ...., स्ट्रीट वेंडर न.दि.न.परिषद् के क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में सामान बेचता हूँ, (न.दि.न.परिषद् योजना 2007 के अन्तर्गत वेंडिंग सं० ....का पंजीकरण/प्रमाण पत्र अथवा तहबाजारी लाइसेंस सं0 ..../आवेदन सं० ....) एतद्द्वारा दिनांक 31.8.2018 को होने वाले चुनाव हेतु न.दि.न.परिषद् क्षेत्र के लिए प्रथम टॉउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य के पद हेतु उम्मीदवार के रूप में (न.दि.न.परिषद् योजना 2007 के अंतर्गत वेंडिंग का पंजीकरण प्रमाण पत्र ....अथवा तहबाजारी लाइसेंस सं0................./आवेदन सं0............................) श्री/श्रीमती/सुश्री....................................पत्नी/पुत्र/पुत्री, श्री .... तथा स्ट्रीट वेंडर, न.दि.न. परिषद् क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में सामान बेचता हूँ, का नाम प्रस्तावित करता हूँ।

प्रस्तावक का नाम तथा हस्ताक्षर ....

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् योजना 2007 के अन्तर्गत वेंडिंग सं० .... का पंजीकरण/प्रमाण पत्र अथवा तहबाजारी लाइसेंस सं०............../ आवेदन सं० .... ।

मैं, ... पत्नी / पुत्र / पुत्री, श्री ...., न.दि.न.परिषद् योजना 2007 के अन्तर्गत न.दि.न.परिषद् क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर, सामान बेचता हूँ का पंजीकरण/वेंडिंग सं0 का प्रमाण पत्र अथवा तहबाजारी लाइसैंस सं० ..../आवेदन सं० ...., एतद्द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का द्वितीय उम्मीदवार।

नामांकन निम्नलिखित श्रेणियों में भरा जा रहा है:-

सामान्य महिला	सामान्य	सामान्य दिव्यांग	सामान्य अल्पसंख्यक
अनु. जनजाति	अनु. जाति	अ.पि.वर्ग	अ.पि.वर्ग महिला

कृपया लागू श्रेणी को टिक (✓) करें तथा सत्यापित प्रमाणपत्र को संलग्न करें। उम्मीदवार जाँच के समय सत्यापन हेतु मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएं

द्वितीयक का नाम एवं हस्ताक्षर

न.दि.न.परिषद् योजना 2007 के अन्तर्गत वेंडिंग सं० .... का पंजीकरण/प्रमाण पत्र अथवा तहबाजारी लाइसेंस सं० ..../आवेदन सं० ....।

टॉउन वेंडिंग कमेटी

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

उम्मीदवार की घोषणा

मैं, ..., पत्नी/पुत्र/पुत्री श्री................................ न.दि.न. परिषद् योजना 2007 के अंतर्गत न.दि.न. परिषद् के क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर, सामान बेचता हूँ, वेंडिंग सं0 .... का प्रमाण–पत्र/पंजीकरण ....अथवा तहबाजारी लाइसेंस सं0 .... /आवेदन सं0.... .... एतद्द्वारा प्रथम टॉउन वेंडिग कमेटी के ....सदस्य के रूप में चुनाव हेतु मेरे नामांकन हेतु सहमत हूँ।

मैं आगे घोषणा करता हूँ कि–

(i) मैं उक्त टॉउन वेंडिंग कमेटी का एक कर्मचारी नहीं हूँ–,

(ii) मैं वोट देने हेतु योग्य हूँ–,

(iii) मैं स्ट्रीट वेंडर (आजीविका का संरक्षण तथा स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन) अधिनियम 2014 (2014 का 7) तथा दिल्ली स्ट्रीट वेंडर (आजीविका का संरक्षण तथा स्ट्रीट वेंडिग विनियमन) नियमावली 2017 में शामिल के अंतर्गत बनाए प्रावधानों में न.दि.न.परिषद क्षेत्र के लिए प्रथम टॉउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य के रूप में चुनाव हेतु कोई अयोग्यता नहीं रखता हूँ।

नामांकन निम्नलिखित श्रेणी में किए जा रहे है:–

सामान्य महिला	सामान्य	सामान्य दिव्यांग	सामान्य अल्पसंख्यक
अनु. जनजाति	अनु. जाति	अ.पि.वर्ग	अ.पि.वर्ग महिला

कृपया लागू श्रेणी को टिक (✓) करें तथा अनुप्रमाणित प्रमाण–पत्र तथा दिव्यांग प्रमाणपत्र जैसे लागू हो, संलग्न करें। उम्मीदवार को जांच के समय सत्यापन हेतु मूल प्रमाण–पत्र देना होगा।

`2000/– की नकद जमा की रसीद अथवा ''सचिव, (डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा पे आर्डर) न.दि.न.परिषद्'' के पक्ष में `2000/– संलग्न है।

उम्मीदवार का नाम तथा हस्ताक्षर

न.दि.न. परिषद् योजना 2007 के अंतर्गत वेंडिंग सं0 .... प्रमाण–पत्र/पंजीकरण अथवा तहबाजारी लाइसेंस सं0 ..../आवेदन सं0 ....।

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

मोहर

पावती

निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर पर दिनांक 31 अगस्त 2018 को प्रातः/सांय .... बजे चुनाव हेतु श्री/श्रीमती/सुश्री .... उम्मीदवार/प्रस्तावक/ द्वितीयक द्वारा प्रस्तुत .... नामांकन फार्म प्राप्त किए गए। निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर

मोहर

टाउन वेंडिंग कमेटी

<u>नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्</u>

चुनाव एजेंट की नियुक्ति हेतु फार्म

फार्म -2

(अनुसूची का क्लॉज 12)

मैं, ..., पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री.., स्ट्रीट वेंडर न.दि.न.परिषद् के क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में सामान बेचता हूँ, (न.दि.न.परिषद् योजना 2007 के अंतर्गत वेंडिंग संख्या......................... का पंजीकरण/प्रमाणपत्र अथवा तहबाजारी लाइसेंस सं0.........................../आवेदन संख्या.............................) न.दि.न.परिषद् क्षेत्र के लिए प्रथम टॉउन वेंडिग कमेटी के सदस्य के चुनाव हेतु भाग ले रहा हूँ, एतद्द्वारा, दिनांक 31 अगस्त 2018 (निर्दिष्ट तिथि) को होने वाले उक्त टॉउन वेंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव में चुनाव एजेंट/गिनती एजेंट के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नामांकित करता हूँः-

उम्मीदवार का नाम तथा हस्ताक्षर

न.दि.न.परिषद् योजना 2007 के अंतर्गत वेंडिंग संख्या................का प्रमाण पत्र/पंजीकरण अथवा तहबाजारी लाइसेंस सं0............../आवेदन सं0................................

मैं, ... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री................................पता.................................चुनाव एजेंट/गिनती एजेंट बनने का इच्छुक हूँ।

उक्त चुनाव एजेंट/एकाउण्ट एजेंट के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

एजेंट का नाम तथा हस्ताक्षर